

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, गोरखपुर

अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-01/अधि0अभि0/2021-22

संख्या:- 3909 / बाखगो / निविदा / 2021-22

दिनांक : सितम्बर 21, 2021

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑन लाइन <http://etender.up.nic.in/> के माध्यम से प्री-क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड एवं फाइनैन्शियल बिड, सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 24.09.2021 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक 30.09.2021 को अपरान्ह 13:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्री-क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड दिनांक 30.09.2021 को अपरान्ह 15:00 बजे मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 गोरखपुर द्वारा निर्धारित समिति द्वारा ऑनलाइन खोली जायेगी एवं प्री-क्वालीफिकेशन एवं टेक्निकल बिड में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाइनैन्शियल बिड, खोलने की तिथि कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर, नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा।

| लाट सं० | कार्य का विवरण | मात्रा | घरोहर धनराशि (EMD) (लाख ₹० में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी०एस०टी० एवं स्टेशनरी सहित) | पंजीकृत श्रेणी |
|---------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जनपद गोरखपुर में गुरा नदी के बायें तट पर स्थित राजधानी सिहलटा तटबंध के किमी० 6.200 से 6.280 के मध्य ग्राम-जोगिया के पास क्षतिग्रस्त तटबंध के मरम्मत का कार्य। | बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार | 0.17 | 10 दिवस | 8614.00 | 'C' अथवा उच्च |
| 2 | जनपद गोरखपुर में गुरा नदी के बायें तट पर स्थित राजधानी सिहलटा तटबंध के किमी० 9.500 से 9.545 के मध्य ग्राम-बड़हरा के पास क्षतिग्रस्त तटबंध के मरम्मत एवं जियो ट्यूब से Puddle Core बनाने का कार्य। | बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार | 0.41 | 10 दिवस | 8614.00 | 'B' अथवा उच्च |
| 3 | जनपद गोरखपुर में फरेन नाले के बायें तट पर स्थित राजधानी सिहलटा विस्तार तटबंध के किमी० 1.000 से 1.035 के मध्य क्षतिग्रस्त तटबंध के मरम्मत का कार्य। | बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार | 0.05 | 07 दिवस | 8614.00 | 'C' अथवा उच्च |
| 4 | जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित बिनहा रिंग तटबंध के किमी० 3.600 से 3.675 के मध्य क्षतिग्रस्त तटबंध के मरम्मत का कार्य। | बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार | 0.34 | 10 दिवस | 8614.00 | 'C' अथवा उच्च |
| 5 | जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित बसावनपुर रिंग तटबंध के किमी० 2.020 से 2.050 के मध्य क्षतिग्रस्त तटबंध के मरम्मत का कार्य। | बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार | 0.14 | 07 दिवस | 8614.00 | 'C' अथवा उच्च |

नियम एवं शर्तें

- यह निविदा/बिड सूचना उत्तर प्रदेश सरकार की जनपद गोरखपुर की वेबसाइट <http://gorakhpur.nic.in> तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट <http://irrigation.up.nic.in/> पर भी उपलब्ध है।
- निविदा सूचना एवं बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/> पर उपलब्ध होंगी।
- Pre-Qualification, of technical evaluation by tender Committee will be done as per the procedure described in detailed bid document & financial bid will be opened of only qualified bidders of technical bid. Date of opening of Financial bid will be decided on the basis of total no. of bids submitted & notified on notice board/e-portal.
- निविदादाता को यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० लखनऊ में ई-टेंडरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा। उक्त कारपोरेशन के माध्यम से ई-टेंडरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी तथा कॉरपोरेशन की रसीद निविदा डालते समय ऑनलाइन लोड करना आवश्यक होगा।
- सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्व-घोषणा शपथ पत्र (IDT-3) व अन्य प्रपत्र/अभिलेख की पठनीय स्कैण्ड प्रति निविदा के साथ वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/> पर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त की मूलप्रति न्यूनतम निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कार्य से सम्बन्धित ड्राइंग्स एवं कार्य की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक "बाढ़ खण्ड, गोरखपुर" के कार्यालय से किया जा सकता है।

6. सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्व-घोषणा शपथ पत्र (IDT-3) व अन्य आवश्यक मूल प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में न्यूनतम निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात निर्धारित की गयी तिथि को जमा करने होंगे, जिसकी सूचना निविदादाता को अलग से दी जायेगी, अन्यथा उनकी बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा विभाग में उनके पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही जो कि नियमानुसार अनुमन्य होगी, की जायेगी। उपरोक्त की स्कैण्ड कापी भी बिड के साथ ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
7. प्रत्येक निविदादाता को 100/- जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रू0 1/- का रसीदी टिकट लगाकर अनुबंध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैण्ड कापी ऑनलाइन निविदा के साथ जमा करनी है एवं न्यूनतम निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात मूल उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। नियमानुसार देय आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी, लेबर सेस आदि प्रचलित टैक्स देनी होगी। अनुबंध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी तथा शेष जमानत की धनराशि भी जमा करनी होगी।
8. Cost of Bid Document (Non-Refundable): To be deposited in the account of UP e-tender online Account through e-tender portal by Internet Banking only. All concerned please note that bidding process will not move onward if the Bid Document's Cost (Tender Fee) is not paid through e-tender portal by Internet Banking.
9. Bid Security (EMD): Bid must be accompanied with security of the amount specified for work. Bid security will be deposited in the account of UP e-tender online Account through e-tender portal by Internet Banking only. All concerned please note that bidding process will not move onward if the Bid Security (EMD) is not paid through e-tender portal by Internet Banking. No other form of bid security will be accepted.
10. निविदादाता को अनुभव के रूप में विगत सात वर्षों (दिनांक 01.09.2014 से 31.08.2021 तक) में सफलतापूर्वक सम्पादित (पूर्ण) किये गये सिविल कार्यों के सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो अधिशासी अभियन्ता स्तर से कम स्तर द्वारा निर्गत न किया गया हो:-
 - अ) तीन समान प्रकृति के सिविल कार्य, जिनमें प्रत्येक की लागत कार्य की लागत से 40% से कम न हो।
अथवा
 - ब) दो समान प्रकृति के सिविल कार्य, जिनमें प्रत्येक की लागत कार्य की लागत से 50% से कम न हो।
अथवा
 - स) एक समान प्रकृति के सिविल कार्य, जिसकी लागत कार्य की लागत से 80% से कम न हो।
11. विगत पाँच वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण-पत्र/आईटीआर0 निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12. जी0एस0टी0 पंजीकरण की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
13. ज्वाइंट वेंचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
14. निविदादाता द्वारा कोई कार्य अनुबंध गठन के बाद सबलेट नहीं किया जायेगा। अनुबंध के समय ठेकेदार से इस आशय का घोषणा पत्र लिया जायेगा।
15. निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात् निविदा तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख मूलरूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उनका पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
16. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
17. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी।
18. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. इस निविदा को अनुबंध गठित होने से पूर्व तक आंशिक या पूर्ण रूप से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
20. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबंध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबंध नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
21. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

22. राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
23. निविदा बजट आवंटन के प्रत्याशा में आमंत्रित की जा रही है।
24. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।
25. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑन-लाइन/नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी। निविदा की प्रक्रिया ऑन-लाइन शुरू होने के पश्चात् किसी भी लॉट के सम्बंध में समस्त अग्रिम कार्यवाही सिर्फ ऑन-लाइन ही होगी, प्रत्येक निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा की प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् ऑन-लाइन निविदा के सम्बंध में होने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धि-पत्र की जानकारी प्राप्त करता रहे, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
26. विशेष परिस्थितियों में निविदादाता से यदि कोई भी सूचना इत्यादि निविदा की प्रक्रिया ऑन-लाइन शुरू होने के पश्चात् प्राप्त करनी होगी तो वह कार्यालय के ई-मेल आईडी0 flooddivisiongkp@gmail.com द्वारा निविदादाता के ई-मेल आईडी0 से मांगी जा सकती है, जिसे नियत समय के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सूचना नियत/निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध न कराने की दशा में निविदादाता की निविदा को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
27. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि निविदादाता द्वारा किसी भी स्तर पर नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबंध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
28. अन्य शर्तें एवं कार्य स्थल का विवरण निविदा प्रपत्र एवं पूर्ण अर्हता निर्धारण प्रपत्र (प्री-क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड) में संलग्न है।
29. निविदा से सम्बन्धित विस्तृत एवं अन्य जानकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, गोरखपुर से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
30. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा जमानत धनराशि, एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रीकृत बैंक/सिड्यूल बैंक से निर्गत हो, देना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि न देने की स्थिति में उसकी निविदा निरस्त कर निविदादाता के विरुद्ध दायर कर कानूनी एवं उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
31. शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08, टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार कार्यों की विभागीय दर से ठेकेदारों द्वारा दी गयी निविदा दर 1% से 10% तक कम होने पर 0.5% प्रति 1% की कमी पर तथा 10% से अधिक दरो की कमी पर 1% प्रति 1% की कमी पर अतिरिक्त परफार्मेंस धरोहर धनराशि देय होगी। यह परफार्मेंस धनराशि निविदा के उपरान्त गठित अनुबंध के सापेक्ष जमानत धनराशि के अतिरिक्त देय होगी तथा अनुबन्ध के समय उक्त परफार्मेंस धनराशि जमा करने की बाध्यता होगी। विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कराने में असफल रहने पर, जमानत धनराशि तथा परफार्मेंस धनराशि विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर जब्त कर ली जायेगी।
32. समान प्रकृति के कार्य का अनुभव का आशय 31.08.2021 तक समान प्रकृति के कार्य पूर्ण होने की लागत से है जिसे उसके/फर्म द्वारा सन्तोषजनक ढंग से कराये जाने का अनुभव प्राप्त हो।
33. सिंचाई विभाग में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के सगे सम्बन्धी ठेकेदार इस निविदा को खरीद एवं डाल नहीं सकते हैं, ऐसा पाये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर, धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
34. बीजक से आयकर, लेबर सेस, रॉयल्टी व अन्य टैक्स की नियमानुसार प्रचलित दर से कटौती की जायेगी। जी0एस0टी0 का भुगतान अलग से नियमानुसार किया जायेगा।
35. निविदा टेक्निकल इवैलुयेशन में सम्मिलित होने के लिए "Pre-Qualification of Technical and Financial bid" document में उल्लेख किये गये "TABLE-A (QUALIFYING CRITERIA/REQUIRED DOCUMENTS FOR ADMITTED IN TECHNICAL EVALUATION)" के अनुसार प्रपत्र/अभिलेख की पठनीय स्कैन्ड प्रति निविदा के साथ वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/> पर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
36. निविदा टेक्निकल इवैलुयेशन हेतु "Pre-Qualification of Technical and Financial bid" document में उल्लेख किये गये "TABLE-B (QUALIFYING CRITERIA/REQUIRED DOCUMENTS FOR TECHNICAL EVALUATION)" के अनुसार प्रपत्र/अभिलेख की पठनीय स्कैन्ड प्रति निविदा के साथ वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/> पर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

37. निविदा प्रपत्र, वैयक्तिक मालिकाना फर्म, भागीदारी फर्म, पब्लिक/प्राइवेट कम्पनी द्वारा निम्न जानकारी की स्कैण्ड प्रतिलिपि को प्री-क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड, के साथ ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है:-

क- वैध पंजीयन की प्रति।

ख- विगत पाँच वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण-पत्र।

ग- कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र।

घ- सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विगत पाँच वर्षों की बैलेन्स शीट।

ङ- वर्तमान में चल रहे कार्यो/प्रस्तावित कार्यो की सूची।

(Pre Qualifying of Technical and Financial Bid Form-A के अनुसार)

च- संस्था के प्रकरण में पार्टनरीप डीड के अनुबंध की नोटरी से अभिप्रमाणित प्रति।

छ- अधिकार पत्र (Power of Attorney)

ज- पैन कार्ड/जी0एस0टी0।

झ- सी0ए0 द्वारा प्रमाणित टर्नओवर एवं बिड कैपेसिटी।

ञ- यू0पी0 इलेक्ट्रनिक्स कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ के द्वारा जारी की गयी वर्तमान रसीद।

24.9.2021
अधिरासी अभियन्ता
ब्राह्म खण्ड, गोरखपुर
31/9/2021